कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 297/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 31.07.2026

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

गोतस्करी गैंग का खुलासा 01 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार अवैध तमन्चा कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद

टोल प्लाजा का बैरियर तोडकर भागे थे, पशु तस्कर पुलिस मुठभेड़ में 01 बदमाश घायल/गिरफ्तार

घायल बदमाश/हिस्ट्रीशीटर पर गैंगस्टर, लूट, गोवध, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी व आर्म्स एक्ट के तहत करीब 01 दर्जन मुकदमें है दर्ज

पूर्व की घटना-

दिनांक 24.07.2026 को उ0नि0 मनीष कुमार विश्वकर्मा मय हमराह तथा उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार मय हमराह अचलीपुर अण्डरपास के पास मौजूद थे। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति एक पिकअप वाहन में गोवंशीय पशुओं को लादकर वध हेतु राजेसुल्तानपुर (जनपद अम्बेडकरनगर) की ओर से इसी मार्ग से ले जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग प्रारम्भ की गई। चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन को रुकने का इशारा किया गया, किन्तु चालक वाहन न रोककर तेज गति से भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा पीछा किए जाने पर चालक पूर्वांचल गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ते हुए ग्राम गोपालीपट्टी नहर के पास पिकअप वाहन सड़क पर छोड़कर अपने दो साथियों सहित फरार हो गया। मौके से पिकअप वाहन में लदे 05 प्रतिबंधित गोवंशीय पशु तथा एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 292/2026 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

विवेचना के दौरान अभियुक्तों 1- संतोष यादव पुत्र निरंजन यादव निवासी समस्तीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ (उम्र 24 वर्ष), 2- संतोष सरोज पुत्र रामपलट सरोज निवासी समस्तीपुर बबुरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, तथा 3- शमीम पुत्र अज्ञात निवासी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के नाम प्रकाश में आए।

गिरफ्तारी/मुठभेड़ का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 31.07.2026 को प्रातः लगभग 04:20 बजे थाना अतरौलिया क्षेत्रान्तर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड (सुखीपुर के पास) मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान कटका (जनपद अम्बेडकरनगर) की ओर से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड होते हुए गदनपुर की तरफ आ रहे एक मोटरसाइकिल पर 03 व्यक्ति आते दिखाई दिये जिन्हे पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया। अभियुक्तो ने स्वयं को पुलिस बल से घिरता देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा और भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त संतोष यादव पुत्र निरंजन यादव निवासी समस्तीपुर थाना जहानागंज जनपद आज़मगढ़ उम्र 24 वर्ष के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिसे उपचार हेतू अस्पताल ले जाया गया और 02 अभियुक्त मौके से फरार हो गये। मौके से 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद हुआ।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 303/26 धारा 109(1) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी-

01 तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त- संतोष यादव पुत्र निरंजन यादव निवासी समस्तीपुर थाना जहानागंज जनपद आज़मगढ़ उम्र 24 वर्ष। **(HS-3B थाना जहानागंज**)

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 303/26 धारा 109(1) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ।

आपराधिक इतिहास–

01.मु0अ0सं0 172/2021 धारा 352/323/504/506 भादवि0 थाना जहानागंज आजमगढ

02. मु0अ0सं0 188/2021 धारा 392/506 भादवि0 थाना तरवा जनपद आजमगढ़

03. मु0अ0सं0 159/22 धारा 420/467/468/471 भादवि0, 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना तरवा जनपद आजमगढ़

04. मु0अ0सं0 349/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

05. मु0अ0सं0 292/22 धारा 3/5A/8 गो वध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

06. मु0अ0सं0 291/22 धारा 307/420/428/429/467/468/471/34 भादवि0, 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

07. मु0अ0सं0 349/22 धारा 379 भादवि0 थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

08. मु0अ0सं0 292/26 धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

09. मु0अ0सं0 68/23 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ

10. मु0अ0सं0 303/26 धारा 109(1) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ

मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष अतरौलिया देवेन्द्रनाथ दुबे, उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार, उ0नि0 विश्राम गुप्ता, रि0का0 राजकुमार वर्मा, रि0का0 आशुतोष तिवारी, का0 सौरभ राय, रि0का0 अमन तिवारी, रि0का0 अमन कुमार, उ0नि0 मनीष विश्वकर्मा, उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय, रि0का0 उत्कर्ष सिंह एवं रि0का0 रोहन सैनी, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।